# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

## (पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या – 10/2021 – निगरानी**

1. कैलाश सिरोठा पुत्र बद्रीलाल सिरोठा निवासी ब्राहम्मणों की सरेरी तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा।

–निगराकार

बनाम

1. सांवर लाल नुवाल पुत्र रूप लाल नुवाल निवासी ब्राहम्मणों की सरेरी
2. ग्राम पंचायत ब्राहमणों की सरेरी तहसील आसीन्द जरिए सरपंच
3. ग्राम पंचायत ब्राहमणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा जरिए सचिव/ग्राम विकास अधिकारी।

– गैर निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा दिनांक 20/11/2019 मिसल पत्रावली सं 101 दिनांक 20.11.2019**

उपस्थित –

1. श्री धर्मेन्द्र आमेटा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 12.03.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत ब्राहमणों की सरेरी पं.स आसींद द्वारा पूर्व में जायदाद जारीशुदा पटटा होते हुए भी निगराकार की जायदाद को गैर निगराकार 1 के पक्ष में नपती पूर्वी भुजा 44.6 फिट, पश्चिमी भुजा 54 फिट, उत्तरी भुजा 21.8 फीट, दक्षिणी भुजा 19 फीट पडौस पूर्व में कैलाश सिरोठा, पश्चिम में सुरेश नुवाल, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में आम रास्ता जारी कर दिया गया। गैर निगराकार संख्या 2 एवं 3 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या द्वारा जो पटटा हेतु आवेदन किया गया जिसमें अपनी जायदाद की नपती भी अंकित नही की हैं एवं आवेदन पत्र एवं शपथपत्र में उक्त जायदाद का पूर्व में पटटा नही बना होने का कथन किया गया हैं, जबकि गैर निगराकार संख्या 1 एवं उसके भाई सुरेश के पिता रूप लाल पुत्र श्री टेकचन्द नुवाल

जायदाद की दीवार को ध्वस्त करने पर आमादा होने पर पुलिस थाना आसीन्द पर रिपोर्ट पेश की, जिस पर इस्तगासा नम्बर 25/2020 धारा 107– 116 (3) जा०फो० के तहत इस्तगासा कायम कर उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट साहब, आसीन्द के यहां पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 145/2020 जा०फो० कायम हुए, जिसमे दिनांक 30/05/2020 को गैर निगराकार संख्या 01 के भाई व अन्य को पांबद करने पश्चात अविलम्ब निगरानी पेश की गयी। दिनांक 19/06/2020 को भी गैर निगराकार संख्या 01 के भाई द्वारा उक्त फर्जी अवैध पट्टे की आड़ मे जबरन दीवार तोड दी, जिस पर मोतबीरान द्वारा आपस मे राजीनामा कराया गया व पुनः पूर्ववत दीवार निर्माण करने व दोनो पक्षो के शामलाती होने व दोनो उपयोग उपभोग करने हेतु तय हुआ। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पटटे को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 01 के विरूद्व आदेशिका दिनांक 20.11.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित बहस भी पेश की गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी ने विपक्षी सुरेश के पिता रूपलाल के हक में उसके पुश्तैनी मकान का पटटा सन् 2007 में पटटा पत्रावली संख्या 16 दिनांक 06.02.2007 से पटटा जारी किया गया। उक्त मूल पटटा होते हुए भी विपक्षी सुरेश व उसके भाई सावंरलाल के नाम दो पृथक – पृथक पटटे जारी किये गये, जो मूल पटटे की जायदाद से अधिक की जायदाद के जारी कर दिये गये, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य हैं। नये जारी पटटों की साईज एवं पूर्व में जारी पटटे की साईज में काफी विरोधाभास होकर बडी मात्रा में अन्तर है। उक्त नये दोनो पटटो की मिसल में शपथ पत्र पर एक भी पडौसी की सहमति पत्र या अनापत्ति पत्र पर हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटे जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 142 से 158 एवं 167(1) व

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 101 फैसल दिनांक 20.11.2019 के जरिये पटटा तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी द्वारा मिसल संख्या 101 फैसल दिनांक 20.11.2019 के जरिये जारी पटटे को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा